भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1007

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामलों की संख्या

†1007. **डॉ. शशि थरूर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों में प्रतिवर्ष नामांकित छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामलों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए सरकार के पास कोई नीति है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की कोचिंग संस्थानों और उच्च शिक्षण संस्थानों को 'उम्मीद' यूएमएमईईडी दिशानिर्देशों की परिधि में शामिल करने की कोई योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): देश में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। छात्रों की आत्महत्याओं का ब्यौरा वर्ष-वार एडीएसआई रिपोर्टों में उपलब्ध है, जिन्हें **https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html** पर देखा जा सकता है।

आत्महत्या के मुद्दे से निपटने के लिए, सरकार बहुआयामी उपाय कर रही है और आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है।
मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, कोविड प्रकोप के दौरान और उसके बाद छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है।

देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 2022 में एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया गया है। दिनांक 28.11.2024 तक 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं राज्यों में नेटवर्किंग (मानस) सेल स्थापित किए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 16,11,000 से अधिक कॉल के उत्तर दिए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति जारी की है और यूजीसी ने 06.01.2023 को उच्च शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति में सूचीबद्ध किए गए अनुसार कार्रवाई करने के लिए परामर्शिका जारी की है।

यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को उच्च शिक्षण संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्र स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें छात्रों के लिए शारीरिक फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने; शैक्षणिक दबाव, साथियों के दबाव, व्यवहार संबंधी मुद्दों, तनाव, करियर संबंधी चिंताओं, अवसाद और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों के लिए सुरक्षा उपाय करने; छात्र समुदाय में सकारात्मक सोच और भावनाएं सिखाने; और छात्रों के लिए एक सकारात्मक और सहायक नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान है।

मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी प्रसारित की है, जिसमें संस्थागत कामकाज में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

किसी भी निर्धारित नीति या विनियमन के अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि; ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूलने की घटनाओं; छात्रों पर अनुचित तनाव जिसके परिणामस्वरूप छात्र आत्महत्या कर लेते हैं आदि; को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने उचित कानूनी रूपरेखा के माध्यम से विचार करने के लिए दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग केंद्रों के नियमन के लिए दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। इसके बाद दिनांक 16.07.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक और पत्र भेजा गया। दिशानिर्देशों में कई प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें मानसिक कल्याण के महत्व पर बल देना, कोचिंग केंद्रों के भीतर परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों से सहायता प्राप्ति को प्राथमिकता देने की वकालत करना; शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर बैचों का अलगाव नहीं करना; पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान शुल्क वृद्धि पर प्रतिबंध; 16 वर्ष से कम आयु के या माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा पूरी करने से पहले छात्रों का नामांकन न करना, छात्रों के स्कूल/कॉलेज घंटों के दौरान कोचिंग कक्षाएं न होना ताकि ऐसे स्कूल/कॉलेज में नियमित उपस्थिति प्रभावित न हो; मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं के लिए सुलभता; किसी छात्र के लिए कोचिंग कक्षाएं एक दिन में 5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए; आसान निकास नीति और निकास का विकल्प चुनने वाले छात्रों को आनुपातिक आधार पर शुल्क वापसी शामिल है।

***